International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 6, Issue 1, January 2019 |

भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

Nidhi Verma

Assistant Professor in Economics, SNKP Govt. College, Neem Ka Thana, Sikar, Rajasthan, India

सार

भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को रियायती कीमतों पर आवश्यक उपभोग की वस्तुएँ प्रदान करना है ताकि मूल्य वृद्धि के प्रभावों से उन्हें बचाया जा सके तथा नागरिकों में न्यूनतम पोषण की स्थिति को भी बनाए रखा जा सके। हमारे पास ओटीपी नहीं आ रहा है सहायिकी (subsidy) या राजसहायता किसी आर्थिक या समाजिक नीति को बढ़ाने के लिए दी गई वित्तिय सहायता होती है। यह आमतौर से सरकार द्वारा व्यक्तियों, कम्पनियों या संस्थाओं को दी जाती है। सहायिकी के कई रूप हो सकते हैं, जैसे कि सीधे पैसे देना, कर छूट देना, बिना ब्याज़ के ऋण देना, इत्यादि। उपभोक्ताओं को सहायिकी किसी माल या सेवा की कीमत घटाने के लिए दी जाती है, मसलन भारत की राशन व्यवस्था में अनाज व अन्य आवश्यक खाद्यसामग्री कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती है। सहायिकी प्रदान करने का खर्चा अंततः दो ही स्रोतों से मिलता है: या तो इसे साधारण करदाता पर कर बढ़ाकर लिया जाता है या फिर उसे मुद्रा छापकर पूरा करा जाता है, जिस से महंगाई बढ़ती है (यानि खर्चा पूरा समाज उठाता है)। कुछ क्षेत्रों में सीमित सहायिकी देने से सहाजिक कल्याण, कमज़ोर वर्गों की रक्षा और अर्थव्यवस्था में व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है।[1][2]

सहायिकी में अक्सर उसके चोरी होने का या अन्य अनपेक्षित परिणाम का संकट रहता है। बहुत से देशों में सहायिकी का आरम्भ किसी वर्ग की मदद करने के लिए किया जाता है लेकिन समय के साथ उसे चोरी करने की अपराधिक व्यवस्थाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। यह व्यवस्थाएँ स्वयं में पत्रकारों, राजनेताओं, सरकारी अफसरों और विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक संघों के नेतृत्व (जैसे कि कृषि संघ, मज़दूर संघ, इत्यादि) को मिला लेती हैं, और फिर सरकार व लोकमत को प्रभावित कर सहायिकी हटाने से रोकती है। भारत की राशन वितरण प्रणाली में दशकों तक राशन की व्यवस्थित रूप से चोरी हो रही थी।[3]किसी बड़े आर्थिक क्षेत्र में स्थाई सहायिकी देने से महंगाई और भ्रष्टाचार के साथ-साथ, बाज़ार विकृति (market distortion) भी उत्पन्न होती है, जिस से बाज़ार में अन्य वस्तुओं का अभाव जन्म ले सकता है जिस से उनका दाम बढ़ता है।[4]

परिचय

भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली द्वारा स्थापित किया गया था भारत सरकार के तहत उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्य और गैर खाद्य पदार्थों वितरित करने के लिए भारत के गरीब सब्सिडी दरों पर। वितरित की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में देश भर के कई राज्यों में स्थापित उचित मूल्य की दुकानों (जिन्हें राशन की दुकानों के रूप में भी जाना जाता है) के नेटवर्क के माध्यम से मुख्य खाद्यान्न, जैसे गेहूं , चावल , चीनी और मिट्टी के तेल जैसे आवश्यक ईंधन शामिल हैं । भारतीय खाद्य निगम , एक सरकारी स्वामित्व वाला निगम , सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की खरीद और रखरखाव करता है।[1]

आज भारत के पास चीन के अलावा दुनिया में अनाज का सबसे बड़ा भंडार है,[2] सरकार रुपये खर्च करती है। 750 अरब। पूरे देश में गरीब लोगों को खाद्यान्न का वितरण राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। [1] २०११ तक भारत भर में ५०५,८७९ उचित मूल्य की दुकानें (एफपीएस) थीं । [2] पीडीएस योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे का प्रत्येक परिवार हर महीने ३५ किलोग्राम चावल या गेहूं के लिए पात्र है, जबकि गरीबी रेखा से ऊपर का परिवार मासिक आधार पर १५ किलोग्राम खाद्यान्न का हकदार है। [3] गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड धारक को ३५ किलो अनाज दिया जाना चाहिए और गरीबी रेखा से ऊपर के कार्ड धारक को पीडीएस के मानदंडों के अनुसार १५ किलो अनाज दिया जाना चाहिए। हालांकि, वितरण प्रक्रिया की दक्षता के बारे में चिंताएं हैं।

कवरेज और सार्वजनिक व्यय में , इसे सबसे महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा नेटवर्क माना जाता है । हालांकि, राशन की दुकानों द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला खाद्यान्न गरीबों की खपत की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। भारत में पीडीएस बीजों की खपत का औसत स्तर प्रति व्यक्ति प्रति माह केवल 1 किलोग्राम है। पीडीएस की शहरी पूर्वाग्रह और आबादी के गरीब वर्गों की प्रभावी ढंग से सेवा करने में विफलता के लिए आलोचना की गई है । लक्षित पीडीएस महंगा है और गरीबों को कम जरूरतमंद लोगों से निकालने की प्रक्रिया में बहुत अधिक भ्रष्टाचार को जन्म देता है ।[3] यह योजना पहली बार 14 जनवरी 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू की गई थी, और जून 1947 में वर्तमान स्वरूप में शुरू की गई थी। भारत में राशन की शुरुआत 1940 के बंगाल के अकाल से हुई थी। हरित क्रांति से पहले, 1960 के दशक की शुरुआत में तीव्र भोजन की कमी के मद्देनजर इस राशन प्रणाली को पुनर्जीवित किया गया था । इसमें दो प्रकार, आरपीडीएस और टीपीडीएस शामिल हैं। 1992 में, पीडीएस गरीब परिवारों, विशेष रूप से दूर-

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 6, Issue 1, January 2019 |

दराज, पहाड़ी, दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करते हुए आरपीडीएस (पुनर्निर्मित पीडीएस) बन गया। 1997 में RPDS TPDS (लक्षित PDS) बन गया जिसने रियायती दरों पर खाद्यान्न के वितरण के लिए उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना की। पीडीएस को विनियमित करने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारें साझा करती हैं।[4] जबकि केंद्र सरकार खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, परिवहन और थोक आवंटन के लिए जिम्मेदार है, राज्य सरकारें उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के स्थापित नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को इसे वितरित करने की जिम्मेदारी रखती हैं। राज्य सरकारें गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के आवंटन और पहचान, राशन कार्ड जारी करने और एफपीएस के कामकाज की निगरानी और निगरानी सहित परिचालन जिम्मेदारियों के लिए भी जिम्मेदार हैं।[5] एक सार्वजनिक वितरण की दुकान, जिसे उचित मूल्य की दुकान (FPS) के रूप में भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की सार्वजनिक प्रणाली का एक हिस्सा है जो गरीबों को रियायती मूल्य पर राशन वितरित करती है।[4] स्थानीय रूप से इन्हें राशन के रूप में जाना जाता हैदुकानें और सार्वजनिक वितरण की दुकानें, और मुख्य रूप से गेहूं, चावल और चीनी को बाजार मूल्य से कम कीमत पर बेचते हैं जिसे इश्यू प्राइस कहा जाता है। अन्य आवश्यक वस्तुओं की भी बिक्री हो सकती है।[6] सामान खरीदने के लिए राशन कार्ड होना जरूरी है। ये दुकानें केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त सहायता से पूरे देश में संचालित की जाती हैं। इन दुकानों के सामान काफी सस्ते होते हैं लेकिन औसत गुणवत्ता के होते हैं। अधिकांश इलाकों, गांवों, कस्बों और शहरों में अब राशन की दुकानें मौजूद हैं। भारत में 5.5 लाख (0.55 मिलियन) से अधिक दुकानें हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ा वितरण नेटवर्क है। भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसके दोषों के बिना नहीं है। लगभग 40 मिलियन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के कवरेज के साथ, एक समीक्षा ने निम्नलिखित संरचनात्मक कमियों और गड़बड़ी की खोज की:[5]

1. राशन की दुकानों में उपभोक्ताओं को घटिया गुणवत्ता वाला खाद्यान्न मिलने के मामले बढ़ते जा रहे हैं।[6]
2. दुष्ट डीलर भारतीय खाद्य निगम (FCI) से प्राप्त अच्छी आपूर्ति को घटिया स्टॉक के साथ स्वैप करते हैं और अच्छी गुणवत्ता वाले FCI स्टॉक को निजी दुकानदारों को बेचते हैं।
3. खुले बाजार में अनाज बेचने के लिए बड़ी संख्या में फर्जी कार्ड बनाने वाले अवैध उचित मूल्य दुकान मालिकों को पाया गया है।[8]
4. कई एफपीएस डीलर अपने द्वारा प्राप्त न्यूनतम वेतन के कारण कदाचार , वस्तुओं के अवैध मोड़, होल्डिंग और कालाबाजारी का सहारा लेते हैं।[7]
5. कई कदाचार सुरक्षित और पौष्टिक भोजन को बहुत से गरीबों के लिए दुर्गम और दुर्गम बना देते हैं जिसके परिणामस्वरूप उनकी खाद्य असुरक्षा होती है।[8]
6. विभिन्न राज्यों में पीडीएस सेवाओं को प्रदान की जाने वाली स्थिति और वितरण के लिए परिवारों की पहचान अत्यधिक अनियमित और विविध रही है। आधार यूआईडीएआई कार्ड के हालिया विकास ने प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के साथ-साथ पीडी सेवाओं की पहचान और वितरण की समस्या को हल करने की चुनौती ली है।
7. एफपीएस का क्षेत्रीय आवंटन और कवरेज असंतोषजनक है और आवश्यक वस्तुओं के मूल्य स्थिरीकरण का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है।
8. कोई निर्धारित मानदंड नहीं है कि कौन से परिवार गरीबी रेखा से ऊपर या नीचे हैं। यह अस्पष्टता पीडीएस प्रणाली में भ्रष्टाचार और नतीजों के लिए व्यापक गुंजाइश देती है क्योंकि कुछ लोग जो लाभ के लिए होते हैं वे सक्षम नहीं होते हैं।[9]

कई योजनाओं ने पीडीएस से सहायता प्राप्त लोगों की संख्या में वृद्धि की है, लेकिन यह संख्या बहुत कम है। एफपीएस की खराब निगरानी और जवाबदेही की कमी ने बिचौलियों को प्रेरित किया है जो गरीबों के लिए स्टॉक का एक अच्छा हिस्सा उपभोग करते हैं। यह भी स्पष्ट नहीं है कि किन परिवारों को गरीबी रेखा के नीचे की सूची में शामिल किया जाना चाहिए और कौन से नहीं। इसके परिणामस्वरूप वास्तव में गरीबों को बाहर रखा जाता है जबकि अपात्रों को कई कार्ड मिलते हैं। गरीबी से त्रस्त समाजों, अर्थात् ग्रामीण गरीबों में पीडीएस और एफपीएस की उपस्थिति के बारे में जागरूकता निराशाजनक रही है। अर्थव्यवस्था किसी भी माल या सेवा की उत्पादकों द्वारा आपूर्ति और उपभोक्ताओं द्वारा माँग के बीच आर्थिक संतुलन बनता है और उस चीज़ की बाज़ार में कीमत (मूल्य) इसी संतुलन से प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती है। यह संतुलन बहुत लाभदायक होता है।[10]

एक परिवार को सौंपा गया स्टॉक किश्तों में नहीं खरीदा जा सकता है। यह भारत में पीडीएस के कुशल कामकाज और समग्र सफलता के लिए एक निर्णायक बाधा है। गरीबी रेखा से नीचे के कई परिवार या तो मौसमी प्रवासी श्रमिक होने के कारण या अनधिकृत कॉलोनियों में रहने के कारण राशन कार्ड प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं । कई परिवार पैसे के लिए अपने राशन कार्ड गिरवी रख देते हैं। भारत में सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा कार्यक्रमों की योजना और संरचना में स्पष्टता की कमी के परिणामस्वरूप गरीबों के लिए कई कार्ड तैयार किए गए हैं। कार्ड के समग्र उपयोग के बारे में सीमित जानकारी ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को नए कार्ड के लिए पंजीकरण करने से हतोत्साहित किया है और परिवार के सदस्यों के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए ऐसे परिवारों द्वारा कार्ड के अवैध निर्माण में वृद्धि की है।[9]

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 6, Issue 1, January 2019 |

उदाहरण के लिए मान लीजिए कि भारत में प्याज़ का बाज़ार है। प्याज़ के कई राज्यों में उत्पादक हैं और कई उपभोक्ता। अब बिना सरकार द्वारा सहायिकी के दो बदलाव की स्थितियाँ देखी जा सकती हैं:[11]

- पहली स्थिति: किसी कारण से आपूर्ति कम हो जाती है, मसलन किसी राज्य में प्याज़ की फसल में बीमारी होने से उत्पादन कम हो जाता है। आपूर्ति कम होने से प्याज़ की कीमत बढ़ती है। इस से देशभर के कृषि उत्पादकों को मूल्य संकेत द्वारा से यह प्रोत्साहन मिलता है कि वह अपना प्याज़ का उत्पादन बढ़ाएँ। सम्भव है कि कुछ कृषक जो कोई और फसल उगाने वाले थे, अब वह बाज़ार में प्याज़ में बढ़े भाव से अधिक लाभ की सम्भावना देखकर प्याज़ उगाने लगते हैं। इसी काल में उपभोक्ता भी देखते हैं कि बाज़ार में प्याज़ महँगा हो गया है और, इस मूल्य संकेत मिलने से वह प्याज़ का उपभोग थोड़ा कम कर लेते हैं - शायद प्याज़ के स्थान पर कोई अन्य विकल्प प्रगोग करते हैं या जहाँ दो प्याज़ प्रयोग करते थे, वहाँ अब एक ही करते हैं। यानि देशभर के उपभोक्ता इस बात के लिए स्वयं ही संवेदनशील हो जाते हैं कि देश में प्याज़ की कमी है और उसका प्रयोग बच-बच कर करें। समय के साथ-साथ उत्पादकों द्वारा बढ़ी आपूर्ति बाज़ार में आती है और प्याज़ के दाम धीरे-धीरे गिरकर कम हो जाते हैं। उत्पादक भी धीरे-धीरे अपना उपभोग बढ़ाकर वापस संतुलन में आ जाते हैं।[12]
- दूसरी स्थिति: किसी कारण से आपूर्ति बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी राज्य में वर्षा अपेक्षा से अधिक अच्छी हो जाती है। बाज़ार में आपूर्ति बढ़ने से कीमत गिरती है। इस मूल्य संकेत से देशभर के उत्पादकों को प्रोत्साहन मिलता है कि वह अपना प्याज़ का उत्पादन घटाएँ। उसी काल में किसी अन्य सब्ज़ी के भाव बढ़े भी हो सकते हैं, यानि उस सब्ज़ी की कमी है - कुछ कृषक अब प्याज़ के स्थान पर उस दूसरी सब्ज़ी को उगाना शुरु करते हैं। यानि कृषकों को प्राकृतिक रूप से यह संकेत मिलता है कि देशभर में प्याज़ आवश्यकता से अधिक हो गया है, अब कोई और ऐसी सब्ज़ी का उत्पादन करें जिस की कमी है। इसी काल में उपभोक्ताओं को भी मूल्य संकेत मिलता है कि वह प्याज़ अधिक प्रयोग करें। इस से वह किसी अधिक दाम (यानि कम आपूर्ति) वाली सब्ज़ी का प्रयोग कम करते हैं और प्याज़ का अधिक। यानि उपभोक्ताओं को भी प्राकृतिक रूप से मूल्य संकेत मिल गया है कि देशभर में प्याज़ की थोक है और अन्य सब्ज़ियों से पहले इसका प्रयोग करें। समय के साथ-साथ आपूर्ति घटती है और कीमत धीरे-धीरे बढ़कर अपने पहले के संतुलन बिन्दु पर लौटने लगती है।[13]

यह देखा जा सकता है कि आर्थिक संतुलन और मूल्य संकेत किसी की समाज व देश की अर्थव्यवस्था की चिरकालीन आर्थिक भलाई के लिए अति-आवश्यक हैं और उसके उत्पादकों व उपभोक्ताओं को हर समय पर सही आर्थिक निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

विचार-विमर्श

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान प्रणाली में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं:

1. भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए सतर्कता दस्ते को मजबूत किया जाना चाहिए, जो करदाताओं के लिए एक अतिरिक्त खर्च है।
2. विभाग के कार्मिक प्रभारी को स्थानीय स्तर पर चुना जाना चाहिए।
3. ईमानदार व्यवसाय के लिए लाभ का मार्जिन बढ़ाया जाना चाहिए, ऐसे में बाजार प्रणाली वैसे भी अधिक उपयुक्त है।[14]
4. एफसीआई और अन्य प्रमुख एजेंसियों को वितरण के लिए गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराना चाहिए, जो कि ऐसी एजेंसी के लिए एक लंबा आदेश है जिसके पास ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक प्रोत्साहन नहीं है।
5. फर्जी और डुप्लीकेट कार्डों को खत्म करने के लिए बार-बार जांच और छापेमारी की जानी चाहिए, जो फिर से एक अतिरिक्त खर्च है और फुलप्रूफ नहीं है।[15]
6. नागरिक आपूर्ति निगम को ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक उचित मूल्य की दुकानें खोलनी चाहिए।
7. उचित मूल्य डीलर कभी-कभार ही दुकान के सामने ब्लॉक-बोर्डों में उपलब्ध दर चार्ट और मात्रा प्रदर्शित करते हैं। इस पर अमल किया जाना चाहिए।
8. कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि दाल प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है इसलिए चावल/गेहूं के अलावा अरहर (तूर) जैसी दालों को भी पीडीएस प्रणाली में शामिल किया जाना चाहिए।[16]

मार्च 2008 में जारी योजना आयोग के एक अध्ययन के अनुसार, कुल मिलाकर, केंद्रीय पूल द्वारा जारी किए गए सब्सिडी वाले अनाज का केवल 42% ही लक्ष्य समूह तक पहुंचता है।[17]

कूपन, वाउचर, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड ट्रांसफर आदि जारी करके जरूरतमंदों और वंचितों को दिए जाने वाले फूड स्टैम्प्स वे किसी भी दुकान या आउटलेट से सामान खरीद सकते हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट में कहा कि राज्य सरकार तब टिकटों के लिए किराने की दुकानों का भुगतान करेगी। [10] लेकिन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जो २००४ में सत्ता में आया, ने एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 6, Issue 1, January 2019 |

(सीएमपी) पर फैसला किया और एजेंडा खाद्य और पोषण सुरक्षा था। इसके तहत सरकार की खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम डीएस को मजबूत करने की योजना थी[11]

हालांकि, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में सीएमपी में प्रस्तावित विचार के विपरीत किया और फूड स्टाम्प योजना के विचार का प्रस्ताव रखा। [12] उन्होंने भारत के कुछ जिलों में इसकी व्यवहार्यता देखने के लिए इस योजना को आजमाने का प्रस्ताव दिया है।[13]सीएमपी में सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि यदि यह व्यवहार्य है तो यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमिकरण करेगी; यदि खाद्य टिकटों को पेश किया जाता है तो यह एक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली होगी। लगभग 40 अर्थशास्त्रियों के एक समूह ने सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली एनएसी को खाद्य सुरक्षा विधेयक के खिलाफ आगाह किया है क्योंकि इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके बजाय उन्होंने आगे बढ़ने और खाद्य टिकटों और अन्य वैकल्पिक तरीकों के साथ प्रयोग करने की सलाह दी और पीडीएस में खामियों की ओर इशारा किया। अर्थशास्त्रियों का यह समूह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, हार्वर्ड, एमआईटी, कोलंबिया, प्रिंसटन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया जैसे संस्थानों से है। , कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और वारविक विश्वविद्यालय।[14] एक ऐतिहासिक फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि उचित मूल्य की दुकानों को गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड धारकको आवंटित नहीं किया जा सकता है।[15]

आज तक न्यूज चैनल ने 14 अक्टूबर 2013 को पीडीएस [16] पर ऑपरेशन ब्लैक नाम से एक स्टिंग ऑपरेशन किया । इससे पता चलता है कि वितरण उचित मूल्य की दुकानों के बजाय मिलों तक कैसे पहुंचता है। कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से सभी दस्तावेज साफ हैं।16

NDTV ने एक शो किया जिसमें यह दिखाया गया कि छत्तीसगढ़ सरकार के खाद्य विभाग ने अपनी टूटी हुई व्यवस्था को कैसे ठीक किया ताकि अनाज का डायवर्जन 2004-5 में लगभग 50% से घटकर 2009-10 में लगभग 10% हो जाए।[17]

पीडीएस पर शोध से पता चलता है (जैसा कि इन दो कार्यक्रमों से पता चलता है) कि देश भर में स्थिति काफी भिन्न है।

परिणाम

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एक कानून है जिसके माध्यम से भारत सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में जनसाधारण को खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। जिसे pm मोदी सही से चला रहे हैं। भारतीय संसद द्वारा पारित होने के उपरांत सरकार द्वारा 10 सितम्बर, 2013 को इसे अधिसूचित कर दिया गया।[1] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य लोगों को सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में उत्तम खाद्यान्न उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिले और वे सम्मान के साथ जीवन जी सकें। इस कानून के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत तक तथा शहरी क्षेत्रों की 50 प्रतिशत तक की आबादी को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रावधान है।इस प्रकार देश की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या को इसका लाभ मिलने का अनुमान है।पात्र परिवारों को प्रतिमाह पांच कि. ग्रा. चावल, गेहूं व मोटा अनाज क्रमशः 3, 2 व 1 रुपये प्रति कि. ग्रा. की रियायती दर पर मिल सकेगा।अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) में शामिल परिवारों को प्रति परिवार 35 कि. ग्रा. अनाज का मिलना पूर्ववत जारी रहेगा।इसके लागू होने के 365 दिन के अवधि के लिए, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएम) के अंतर्गत सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु, पात्र परिवारों का चयन किया जाएगा।गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान तथा प्रसव के छः माह के उपरांत भोजन के अलावा कम से कम 6000 रुपये का मातृत्व लाभ भी मिलेगा।14 वर्ष तक की आयु के बच्चे पौष्टिक आहार अथवा निर्धारित पौष्टिक मानदण्डानुसार घर राशन ले जा सकें।खाद्यान्न अथवा भोजन की आपूर्ति न हो पाने की स्थिति में, लाभार्थी को खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा।इस अधिनियम के जिला एवं राज्यस्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का भी प्रावधान है।पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।[1] 2014 के आरम्भ तक हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के 4 राज्यों में इस अधिनियम का कार्यान्वयन प्रारंभ हो चुका था तथा इस अधिनियम के अंतर्गत राज्यों को खाद्यान्न का आवंटन भी प्रारंभ हो चुका था।[1] पूर्व भाग में उल्लेखित प्याज़ के उदहारण में अब सरकारी द्वारा सहायिकी देकर हस्तक्षेप के प्रभावों का छोटा अध्ययन करा जा सकता है। सरकार या तो उत्पादकों को सहायिकी दे सकती है या फिर उपभोक्ताओं को:

सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को सहायिकी

शुरु में बाज़ार में उत्पादन और उपभोग के बीच आर्थिक संतुलन बना हुआ है। अब घटनाओं का अनुक्रम इस प्रकार जाता है:

-
  - सरकार पर दबाव आता है कि "प्याज़ बहुत महंगा है" और वह हर उपभोक्ता को प्याज़ खरीदने पर कुछ रुपये प्रति किलोग्राम की सहायिकी देने लगती है। यह सहायिकी किसी विधि द्वारा प्याज़ खरीदते समय ग्राहक को दी जाएगी।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 6, Issue 1, January 2019 |

इस से उपभोक्ताओं को दाम कम पड़ता है लेकिन उत्पादकों को जो दाम पहले मिल रहा था, वह अब भी मिलता रहता है।[14]

- सहायिकी का पैसा सरकार को करदाताओं पर कर बढ़ाकर स्पष्ट रूप से देश की जनता से, या फिर मुद्रा छापकर (जिस से जनता के लिए महंगाई बढ़ती है) अस्पष्ट रूप से, उसी जनता से वसूल करना पड़ता है।
- सहायिकी अब प्याज़ खरीदने के लिए प्याज़ उपभोक्ताओं को दी जाती है। कुछ उपभोक्ता अधिक प्याज़ खरीदने लगते हैं, यानि बाज़ार में माँग बढ़ जाती है। लेकिन उत्पादकों द्वारा प्राप्त कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए उत्पादन नहीं बढ़ता।
- माँग और आपूर्ति के बीच अब असंतुलन उत्पन्न हो गया है। उत्पादक अधिक माँग पूरी करने के लिए और प्याज़ उगा नहीं सकते, क्योंकि उनके द्वारा देखा गया मूल्य नहीं बढ़ा है। अर्थशास्त्र की भाषा में उन्हें कोई मूल्य संकेत या प्रोत्साहन नहीं मिला है, और उनके लिए वर्तमान मात्रा से अधिक प्याज़ उगाने पर घाटा होता है।
- कई उपभोक्ता जिन्हें पहले प्याज़ मिलता था, अब उन्हें प्याज़ नहीं मिलेगा क्योंकि माँग बढ़ गई है लेकिन आपूर्ति नहीं।
- राजनेता बयान देते हैं कि "सरकार ने प्याज़ सस्ता करवा दिया है"। उपभोक्ता बोलते हैं कि "प्याज़ सस्ता हुआ है लेकिन पता नहीं क्यों बाज़ार में अब कम मिलने लगा है।"
- ध्यान देने योग्य बात है कि अब बाज़ार में ऐसे कुछ उपभोक्ता हैं जो प्याज़ की अधिक कीमत देने तो तैयार थे और आर्थिक संतुलन की स्थिति में देकर प्याज़ मिल भी रहा था। सम्भव है कि उन्हें अन्य लोगों की तुलना में इस प्याज़ की अधिक आवश्यकता थी जिस कारण वह अधिक दाम देने को तैयार थे। अब उन्हें भी प्याज़ कम मिलेगा और कभी-कभी मिलेगा भी नहीं।
- यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि मूल्य संकेत विकृत होने से अगर पहले प्याज़ उत्पादन बढ़ने वाला था, अब नहीं बढ़ेगा।

सम्भव है कि आपात स्थिति में प्याज़ के लिए सहायिकी समाज के लिए लाभदायक हो। लेकिन स्थाई रूप से इस प्रकार के हस्तक्षेप की हानि देखी जा सकती है।

सरकार द्वारा उत्पादकों को सहायिकी

शुरु में बाज़ार में उत्पादन और उपभोग के बीच आर्थिक संतुलन बना हुआ है। अब घटनाओं का अनुक्रम इस प्रकार जाता है:[13]

-
- सरकार पर दबाव आता ऐ कि "किसान गरीब हैं" और वह हर उत्पदक को प्याज़ बेचने पर कुछ रुपये प्रति किलोग्राम की सहायिकी देने लगती है। यह सहायिकी किसी विधि द्वारा प्याज़ बेचते समय उत्पादक को दी जाएगी। इस से उत्पादकों को दाम अधिक मिलता है लेकिन उपभोक्ताओं को जो दाम पहले मिल रहा था, वह अब भी मिलता रहता है।
- सहायिकी का पैसा सरकार को करदाताओं पर कर बढ़ाकर स्पष्ट रूप से देश की जनता से, या फिर मुद्रा छापकर (जिस से जनता के लिए महंगाई बढ़ती है) अस्पष्ट रूप से, उसी जनता से वसूल करना पड़ता है।
- सहायिकी अब प्याज़ बेचने के लिए प्याज़ उत्पादकों को दी जाती है। कुछ उत्पादक अधिक प्याज़ उगाने व बेचने लगते हैं (और कुछ अन्य चीज़े छोड़कर प्याज़ उगाने लगते हैं), यानि बाज़ार में आपूर्ति बढ़ जाती है। लेकिन उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए उपभोग नहीं बढ़ता।[15]
- माँग और आपूर्ति के बीच अब असंतुलन उत्पन्न हो गया है। उपभोक्ता अधिक प्याज़ नहीं खरीद रहे लेकिन बाज़ार में अधिक प्याज़ आ रहा है। अर्थशास्त्र की भाषा में उपभोक्ताओं को कोई मूल्य संकेत या प्रोत्साहन नहीं मिला है जिस से वह अधिक प्याज़ खरीदें।
- राजनेता बयान देते हैं कि "सरकार ने किसानों की मदद की है"। उत्पादक बोलते हैं कि "कीमत तो बढ़ी है लेकिन पता नहीं क्यों बाज़ार में कभी-कभी हमारा सारा प्याज़ लोग खरीदते ही नहीं।"
- ध्यान देने योग्य बात है कि अब बाज़ार में ऐसे किसान भी हैं जो प्याज़ कम कीमत पर बेचने को तैयार थे और आर्थिक संतुलन की स्थिति में इस कीमत पर उनका सारा प्याज़ बिक रहा था। लेकिन अब उनका भी कुछ प्याज़ बिना बिके सड़ जाता है।
- यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि मूल्य संकेत विकृत होने से अगर पहले प्याज़ की खरीदरी बढ़ने वाली थी, अब नहीं बढ़ेगी।[12]

सम्भव है कि आपात स्थिति में प्याज़ के लिए सहायिकी समाज के लिए लाभदायक हो। लेकिन स्थाई रूप से इस प्रकार के हस्तक्षेप की हानि भी देखी जा सकती है। भारत में गेहूँ और चावल की सहायिकी से यह स्थिति उत्पन्न हो चुकी है।[5][6]

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 6, Issue 1, January 2019 |

निष्कर्ष

वैश्वीकरण के खतरों से गरीबों की रक्षा करना और उन्हे अधिक अवसर और दक्षता प्रदान करना। कुपोषण नियंत्रण में समेकित बाल विकास सेवा की भूमिका[11]

भारत में समेकित बाल विकास सेवा एक मात्र कार्यक्रम है जो सीधे कुपोषण निवारण के लिये जिम्मेदार है। यह आंगनवाड़ियों के एक विस्तृत नेटवर्क द्वारा संचालित होता है जिसमें पूरक पोषण, स्कूल पूर्व शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बच्चों, गर्भवति एवं धात्री महिलाओं और कुपोषित बालिकाओं तक पहुंचाना अपेक्षित है। किन्तु आंगनवाड़ियों की प्रभाविता कई कारणों से बाधित होती है। केन्द्रों की अपर्याप्त संख्या, कम मानदेय प्राप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिये झूलाघर की अनउपलब्धता जैसी समस्यायें धरातल पर नजर आती है। वृहद स्तर पर राजनैतिक इच्छा शक्ति और बजट प्रावधान में कम प्राथमिकता इसे प्रभावित करती है। वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का 3000 करोड़ रूपयों का प्रावधान सकल घरेलू उत्पाद का 1/10वां हिस्सा भी नहीं हैं।[10] यह तथ्य और स्पष्ट होता है जब हम इसकी तुलना रक्षा के लिये किये गये आवंटन से करते हैं। यदि संसद में बच्चों के लिए उठाये जाने वाले प्रश्नों को देखे तो तो यह दोनों सदनों में उठाये गए प्रश्नों का मात्र 3 प्रतिशत होता है। आश्चर्य की बात नहीं है-बच्चें मतदाता नहीं होते! कुपोषण इस प्रकार एक जटिल समस्या है। घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है और यह तभी संभव है जब गरीब समर्थक नीतियां बनाई जाए जो कुपोषण और भूख को समाप्त करने के प्रति लक्षित हों। हम ब्राजील से सीख सकते हैं जहां भूख और कुपोषण को राष्ट्रीय लज्जा माना जाता है। वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में जहां गरीबों के कल्याण को नजर अंदाज किया जाता है, खाद्य असरुक्षा बढ़ने के आसार नजर आते हैं। हम किस प्रकार सरकार के निर्णय को स्वीकार कर सकते है जब वह लाखों टन अनाज पशु आहार के लिए निर्यात करती है और महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में कुपोषण से मौतों की मूक दर्शक बनी रहती है। आज के समय में किसानों को खाद्यान्न से हटकर नगदी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के कारण खाद्य संकट और गहरा सकता है और देश को फिर से खाद्यान्नों के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ सकता है। हाल ही में जनवितरण प्रणाली को समाप्त करने के सरकार के प्रयास इस ओर इशारा करते हैं।[17]

कुपोषण कार्यक्रमों और गतिविधियों से नहीं रूक सकता है। एक मजबूत जन समर्पण और पहल जरूरी है। जब तक खाद्य सुरक्षा के लिये दूरगामी नीतियां निर्धारित न हो और बच्चों को नीति निर्धारण तथा बजट आवंटन में प्राथमिकता न दी जाए तो कुपोषण के निवारण में अधिक प्रगति संभव नहीं है।

सन् 1975 में यह मानते हुए कि कुपोषण और सतत बरकार रहने वाली भुखमरी की स्थिति को मिटाये बिना स्वएस्य् सत उत्पाि दक और समता मूलक समाज स्था पित नहीं किया जा सकता है, समकित बाल विकास परियोजना शुरू की गई। तब एक व्यानपक नजरिये को आधार बनाकर आंगनवाड़ी कार्यक्रम की शुरूआत की गई थी। एक लंबे दौर तक इस कार्यक्रम को दोयम दर्जे का महत्व दिया जाता रहा है। 31 साल गुजर गये किन्तुक बचपन की भुखमरी को समाप्त नहीं किया जा सका।[16]

संदर्भ

1. "5.17 The Public Distribution System is -------" (PDF). Budget of India (2000-2001). 2000. मूल (PDF) से 24 दिसंबर 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 फ़रवरी 2011.
2. ↑ http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=74180
3. ↑ "UP foodgrain scam trail leads to Nepal, Bangladesh". The Times of India. 11 दिसंबर 2010. मूल से 4 नवम्बर 2012 को पुरालेखित.
4. ↑ "Public Distribution System". Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (India). मूल से 17 दिसंबर 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 फ़रवरी 2011.
5. ↑ Planning Commission 11th FYP document: Nutrition and Social Safety Net, on PDS and Defects and shortcomings
6. ↑ "Press Information Bureau". pib.nic.in.
7. ↑ "Planning Commission 9th FYP on FPS and malpractices". मूल से 5 एप्रिल 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 जनवरी 2013.
8. ↑ "Public Distribution System: Evidence from Secondary Data and the Field*". talkative-shambhu.blogspot.in.
9. ↑ "Government in a fix over illegal ration cards". deccanherald.com. 30 दिसंबर 2012.
10. ↑ "Public Distribution System in India". Indian Institute of Management Ahmedabad. अभिगमन तिथि 5 अक्टूबर 2011.
11. ↑ "National Common Minimum Programme of the Government of India" (PDF). मूल (PDF) से 18 एप्रिल 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 सितम्बर 2011.

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 6, Issue 1, January 2019 |

12. ↑ "Targeted(http://www.hindu.com/2004/08/03/stories/2004080300331000.htm)". The Hindu. गायब अथवा खाली |url= (मदद)
13. ↑ "Food Stamps: A Model for India" (PDF). Centre for Civil Society. मूल (PDF) से 9 अक्टूबर 2006 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 सितम्बर 2011.
14. ↑ "Allow alternatives to PDS, say experts". The Indian Express. अभिगमन तिथि 27 सितम्बर 2011.
15. ↑ "Delhi HC says Fair price shop can't be allotted to BPL card holders". IANS. news.biharprabha.com. अभिगमन तिथि 12 मार्च 2014.
16. ↑ "Operation Black by AAJ TAK News Channel". AAJ TAK. अभिगमन तिथि 14 अक्टूबर 2013.
17. ↑ Truth vs Hype: The Hunger Project http://www.ndtv.com/video/player/truth-vs-hype/truth-vs-hype-the-hunger-project/277857